उत्तर प्रदेश सरकार

शहरी स्थानीय निकाय
पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन

एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

विषय सूची

विषय	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
अध्याय–I		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
वित्त पर डाटाबेस	1.3	3
राजस्व के स्रोत	1.4	3
11 वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदानों का आवंटन एवं उपभोग	1.5	6
शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति	1.6	8
बजट बनाना एवं बजटीय प्रक्रिया	1.7	9
लेखांकन व्यवस्थाएं	1.8	9
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.9	11
प्राथमिक लेखापरीक्षा बकाया	1.10	11
निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तर	1.11	12
निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1.12	13
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा/तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, सौपे जाने की स्थिति	1.13	13
लेखापरीक्षा आच्छादन	1.14	13
बारहवें वित्त आयोग अनुदानों का उपभोग	1.15	13
द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	1.16	14
कर संग्रहण में बकाया	1.17	15
आंतरिक नियंत्रण	1.18	16
निष्कर्ष	1.19	16
संस्तुतियां	1.20	17

अध्याय–II		
लेन देनों की लेखापरीक्षा		
सीमेंट कांक्रीट सड़क कार्यो पर अधिक भुगतान	2.1	18
रिफ्यूज कलेक्टरों के क्रय पर निष्फल व्यय	2.2	19
चिकित्सकों की नियुक्ति पर अनियमित व्यय	2.3	20
व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के अनुबन्ध पर नियुक्ति से अनियमित व्यय	2.4	21
परिहार्य देयताएँ	2.5	22

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	**विवरण**	**प्रस्तर संख्या**	**पृष्ठ संख्या**
1	नगर निगमों की वर्ष 2003–04 की वित्तीय स्थिति	1.6	24
2	नगर पालिका परिषदों की वर्ष 2003–04 की वित्तीय स्थिति	1.6	25
3	नगर पंचायतों की वर्ष 2003–04 की वित्तीय स्थिति	1.6	26
4	नगर निगमों की वर्ष 2004–05 की वित्तीय स्थिति	1.6	27
5	नगर पालिका परिषदों की वर्ष 2004–05 की वित्तीय स्थिति	1.6	28
6	नगर पंचायतों की वर्ष 2004–05 की वित्तीय स्थिति	1.6	29
7	नगर निगमों की वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्थिति	1.6	30
8	नगर पालिका परिषदों की वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्थिति	1.6	31
9	नगर पंचायतों की वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्थिति	1.6	32
10	बजट पर व्ययाधिक्य	1.7	33
11	रोकड़ अवशेषों का मिलान न किया जाना	1.8.3	35
12	वर्ष 2006–07 की अवधि में निरीक्षित नगर निगमों की सूची	1.14	36
13	वर्ष 2006–07 की अवधि में निरीक्षित नगर पालिका परिषदों की सूची	1.14	37
14	वर्ष 2006–07 की अवधि में निरीक्षित नगर पंचायतों की सूची	1.14	38
15	वर्ष 2005–06 में बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्ति में विलम्ब	1.15	39

16	वर्ष 2005–06 में बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की द्वितीय किश्त अवमुक्ति में विलम्ब	1.15	40
17	बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग	1.15	41
18	नगर निगमों में बकाया कर संग्रहण	1.17	42
19	नगर पालिका परिषदों में बकाया कर संग्रहण	1.17	44
20	नगर पंचायतों में बकाया कर संग्रहण	1.17	45
21	चिकित्सकों के परिनियोजन पर अनियमित व्यय	2.3	46

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी0जी0एस0) के निर्बन्धनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।

2. इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हैं। अध्याय–1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लेखों पर प्रेक्षण एवं टिप्पणियों सहित उनके क्रियाकलापों का संक्षिप्त परिचय है तथा अध्याय–2 में इन निकायों के निरीक्षण पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणियां है।

3- प्रतिवेदन में उद्धृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2006–07 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2006 से मार्च 2007 की अवधि में 7 नगर निगमों, 23 नगर पालिका परिषदों एवं 37 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेख निरीक्षित किए गए थे।

अध्याय–1
शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

अध्याय–1

शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लागू किया इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा कर दाताओं से संग्रहित कर, शुल्क, दण्ड इत्यादि के सापेक्ष उनके निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना था। अग्रेतर, चौहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, क्रियाकलापों और निधियों के अन्तरण तथा हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढांचे; नगर निगमों[1], नगर पालिका परिषदों[2] और नगर पंचायतों[3] को और अधिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियां हस्तांतरित की गयी। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका ने उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के माध्यम से नगर निगमों एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के माध्यम से नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का अधिशासन किया जाता है।

1.1.2 जनसंख्या का विवरण

राज्य के शहरी स्थानीय निकाय की 31 मार्च, 2007 तक की जनसंख्या का विवरण निम्नवत थाः–

क्र0 सं0	शहरी स्थानीय निकायों का प्रकार	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	औसत क्षेत्रफल /शहरी स्थानीय निकाय (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)	शहरी स्थानीय निकायों की औसत जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व (औसत प्रति वर्ग कि.मी.)[4]
1	नगर निगम	12	1426.56	118.88	13149882	1095823.50	9217.90
2	नगर पालिका परिषद	194	1980.76	10.21	13398815	69066.06	6764.48
3	नगर पंचायतें	421	1700.42	4.04	6053844	14379.68	3560.21
	योग	**627**	**5107.74**	**133.13**	**32602541**	**1179269.24**	**19542.59**

[1] पॉच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करता है।

[2] 20 हजार एंव पॉच लाख के मध्य जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करता है।

[3] 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करता है।

शहरी स्थानीय निकाय इसके सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा शासित होते हैं। निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समान्यतः पॉच वर्ष होता है। 627 शहरी स्थानीय निकायों के लिये अंतिम निर्वाचन वर्ष 2006 में हुआ था।

1.2 संगठनात्मक ढाँचा

शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक संगठन

कार्यपालिका स्तर

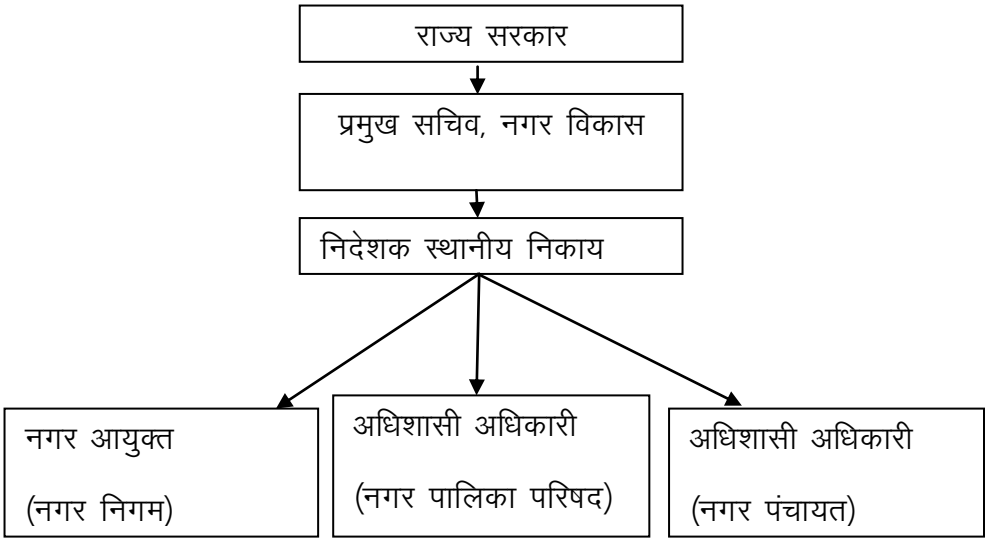

चयनित सदस्य स्तर

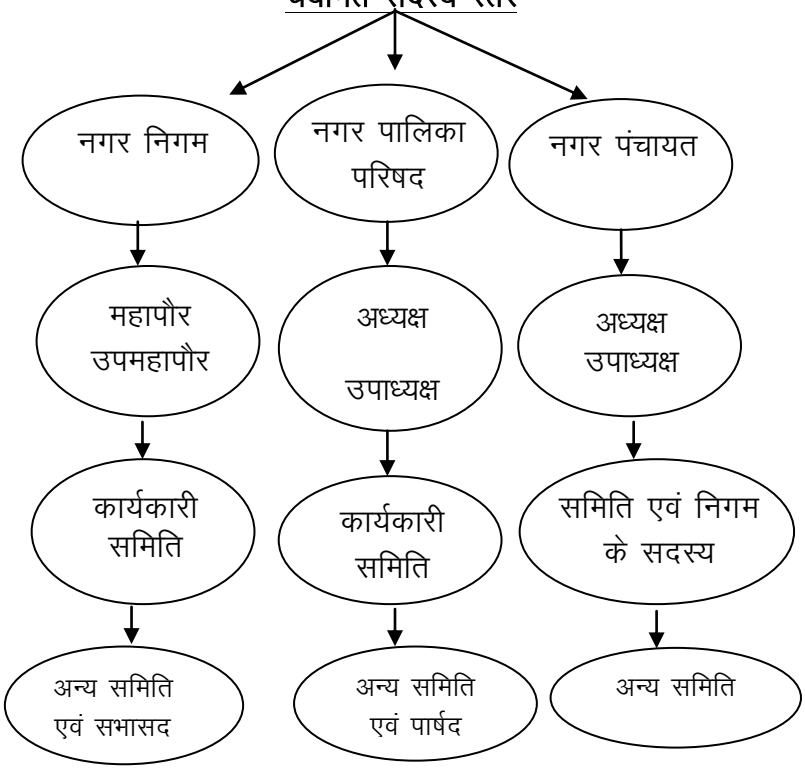

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निर्वाचित समिति के माध्यम से करते है। नगर निगमों के मामलों में ''नगर आयुक्त" और नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के मामलों में "कार्यकारी अधिकारी" प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

1.3 वित्त पर डाटाबेस

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों पर एक नेटवर्क आधारित डाटाबेस जिला स्तर, राज्य और केन्द्र सरकार स्तर पर विकसित किया जाये एवं इनके कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से आसानी से पहुंच में लाया जाये और वी–सैट[4] के माध्यम से इसे जोड़ा जाये। ऑकड़ो को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों में एकत्र एवं समेकित किया जाना था। डाटा बेस का यह कार्य राज्यों के स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन की केन्द्र स्तर पर तथा राज्य सरकार स्तर पर करने में सहायता पहुंचाता है। शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं की जरूरत पर आधारित मूल्यांकन के लिये उनकी शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति की सटीक सूचना रखने के लिये भी बाहरवें वित्त आयोग द्वारा डाटाबेस के रखरखाव की आवश्यकता महसूस की गयी। तथापि मई 2008 तक डाटा बेस विकसित नहीं किया गया था। परिणामतः शहरी स्थानीय निकायों को आनुपातिक आधार पर निधि आवंटित नहीं की जा रही थी। अतः शहरी स्थानीय निकायों को उनके वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा के बिना अनुदानों की अवमुक्ति और भौतिक निष्पादन में पारदर्शिता नहीं थी।

1.4 राजस्व के स्रोत

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराती हैं। शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित स्त्रोतों से निधियॉ प्राप्त होती हैं:–

- वर्ष 2000–05 की अवधि हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग एवं वर्ष 2005–10 की अवधि हेतु बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान।
- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य की कुल कर राजस्व प्राप्तियों के शुद्ध आगम का 7.5 प्रतिशत अंश दिया जाना।
- शहरी स्थानीय निकायों में स्थानान्तरित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित निधियॉ/अन्तरण।

[4] वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व, जैसे–कर, किराया, शुल्क, लाइसेंस का निर्गमन, तहबाजारी[5], टैक्सी स्टैंड आदि।

1.4.1 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2003–06 की अवधि में ग्यारहवां वित्त आयोग, बारहवां वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग से प्राप्त किये गये अनुदान की समग्र प्राप्तियां एवं अपने निजी स्रोतों से अर्जित राजस्व निम्नवत थे–

(रु0 करोड़ में)

क.सं.	वर्ष	11वें एफ.सी./12वें एफ.सी.	एस.एफ.सी.	निजी स्रोतों से	योग
1	2003–04	45.58	825.00	360.07	1230.65
2	2004–05	22.79	877.00	412.33	1312.12
3	2005–06	51.70	911.25	475.98	1438.93
कुल योग–		**120.07**	**2613.25**	**1248.38**	**3981.70**

ग्यारहवें वित्त आयोग, बारहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अनुदानों एवं निजी स्रोतों से प्राप्त आय का शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग आगे के प्रस्तरों में विवेचित किया गया है।

1.4.1.1 11वें/12वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान

निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार, वर्ष 2003–06 की अवधि में 11वें वित्त आयोग/12वें वित्त आयोग के अनुदानों के सापेक्ष प्राप्त धनराशियॉ एवं व्यय निम्नवत थे

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	अनुदान का नाम	प्राप्त धनराशियॉ	व्यय	अवशेष
2003–04	11वें वित्त आयोग	45.58	45.58	––
2004–05	11वें वित्त आयोग	22.79	22.79	––
2005–06	12वें वित्त आयोग	51.70	51.70	––

11वें एवं 12वें वित्त आयोग अनुदानों के उपभोग के संदर्भ में निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि वित्तीय मामलों पर कोई डाटा बेस जनपद एवं राज्य स्तर पर इसके समर्थन में नहीं था। शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित की गई निधियों को अग्रिम की तरह मानने तथा केवल शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त व्यय विवरण के

[5] म्युनिसिपल सीमा के अन्तर्गत व्यापार एवं कालिंग पर कर

बाद ही लेखों में समायोजन के बजाय निदेशक स्थानीय निकाय के लेखों में अंतिम व्यय की तरह समझा गया था पुनः दो नगर निगमों[6], 12 नगर पालिका परिषदों[7] एवं 14 नगर पंचायतों[8] के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2005–06 की अवधि में कुल अवमुक्त अनुदान रु0 7.71 करोड़ में से रु0 7.59 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही (मार्च 2007) जबकि निदेशक, स्थानीय निकाय के अभिलेखों में इसे पूर्णतः प्रयुक्त माना गया था।

अतः अंतिम पायदान तक अनुदानों के उपयोग की गति धीमी होने के बावजूद निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय निष्पादन की स्थिति की गलत रिपोर्ट शासन को की गयी।

1.4.1.2 राज्य वित्त आयोग अनुदान

इसी प्रकार, निदेशक, स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2003–06 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किए गये अनुदानों की अवमुक्त की गई राशि उनकी पुस्तकों में निम्नवत उपभोगित दिखाया गया था :

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध धनराशि	व्यय	अवशेष
2003–04	825.00	825.00	––
2004–05	877.00	877.00	––
2005–06	911.25	911.25	––

तथापि, शहरी स्थानीय निकायों से निदेशालय को वास्तविक व्यय की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अतः निदेशक, स्थानीय निकाय के लेखा में दर्शाया गया शहरी स्थानीय निकायों का व्यय, किसी समर्थित आंकड़ों के अभाव में अवास्तविक था। इस बात की संपुष्टि इस तथ्य से हुई कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में राज्य वित्त आयोग अनुदान के लिये पृथक खाता नहीं था।

[6] गोरखपुर एवं गाजियाबाद।

[7] बिलासपुर, पिहानी, मैनपुरी, तहारपुर, मुंगरा बादशाहपुर, मरहारा, मोदाहा, पुखरायन, रूदौली, महमूदाबाद, सुमार कोंच

[8] जियानपुर, पटीयाली, दिबियापुर, महाराजगंज, कुर्साथ, फफूंद, भरगैन, बिलारियांगंज, छौनापुर, अतरौलिया, हरिया, अवागढ़., निधौली कलां, गोहान।

1.4.1.3 निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व

राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के लिये अपने निजी स्रोतों से राजस्व अर्जित करने हेतु प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित करती है। नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिये वर्ष 2003–06 के दौरान शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अपने निजी सोतों से अर्जित राजस्व की स्थिति निम्नवत थी–

(रु0 करोड़ में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	2003–04		2004–05		2005–06	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	नगर निगम	12	263.37	219.02	318.87	272.52	261.52	299.88
2	नगर पालिका परिषद	194	125.22	108.36	147.73	116.83	158.92	132.10
3	नगर पंचायत	421	43.93	32.69	52.28	22.98	19.81	44.00
	योग (प्रतिशत)	627	432.52	360.07 (83.25)	518.88	412.33 (79.46)	440.25	475.98 (108.11)

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2003–06 की अवधि में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा उनके निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व 79. 46 प्रतिशत से 108.11 प्रतिशत के मध्य था। तथापि, इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व वसूली की विश्लेषणात्मक समीक्षा से यह स्पष्ट था कि नगर पालिका परिषदों में राजस्व संग्रहण की स्थिति में विगत वर्षों के सापेक्ष वर्ष 2005–06 की अवधि में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ था तथा रु0 19.81 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष दोगुना होकर तीव्रता से रु0 44 करोड़ पहुंच गया था।

1.5 11 वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदानों का आवंटन एवं उपभोग

भारत के राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य स्रातों के आवंटन हेतु किया गया था। राज्य की समेकित निधि में वृद्धि द्वारा उनको स्थानीय निकायों के संसाधनों की सम्पूर्ति करने में समर्थ बनाने के लिये स्थानीय निकायों को 11वें वित्त आयोग की परिधि में लाया गया। समान शर्तो के संदर्भ 12वें वित्त आयोग के लिये भी बनाये गये थे। तदनुसार 11वें एवं 12वें वित्त आयोग ने भारत सरकार से शहरी स्थानीय निकायों के लिये

राज्य सरकार को अनुदान मुक्त करने की अनुशंसा की। राज्य सरकार ने 11वें एवं 12वें वित आयोग के अनुदानों को भारत सरकार से प्राप्ति के बाद निदेशक, स्थानीय निकायों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया। इसी प्रकार, राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग अनुदान, भी शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया। निदेशक, स्थानीय निकायों ने जनसंख्या, कुल संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, समाजिक तौर पर पिछड़ों के प्रतिशत एवं उनके निजी स्रोतों से उपर्जित राजस्व के आधार पर नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अनुदान आवंटित किए।

1.5.1 11वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2000–05 की अवधि में राज्य सरकार को रु0 203.52 करोड़[9] विकास कार्य उदाहरणार्थ सड़क, जलापूर्ति एवं स्वच्छता इत्यादि के लिये अवमुक्त किए। इस अनुदान में स्थानीय निकायों में वित्तीय मामलों पर डाटा बेस तैयार करने के लिये रु0 49.41 लाख का आवंटन शामिल था। तथापि राज्य सरकार ने समग्र धनराशि डाटाबेस से इतर उददेश्य पर व्यय किये। इस प्रकार डाटाबेस तैयार करने का उददेश्य पूरा नहीं हुआ।

1.5.2 राज्य वित्त आयोग–अनुदान का अंतरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य सरकार के कर राजस्व के निबल आगम का 7.5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना था। वर्ष 2003 से 2006 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अंतरण हेतु आवश्यक निधियॉ एवं वास्तविक अवमुक्त निधियॉ निम्नवत थी–

(रू. करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार के कर राजस्व का निबल आगम	अंतरण हेतु आवश्यक निधि	राज्य सरकार द्वारा वास्तव में अवमुक्त की गयी निधि	अवमुक्त निधियों में कमी
2003–04	13601	1020	825	195
2004–05	15693	1177	877	300
2005–06	18858	1414	911	503
योग	**48152**	**3611**	**2613**	**998**

तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निधि अंतरित न किये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2003–06 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को रु0 998 करोड़ कम अवमुक्त किए गए।

[9] 2000–01 रु0 44.54 करोड़, 2001–02, रु0 45.03 करोड़, 2002–2003 रु0 45.58 करोड़, 2003–04 रु0 45.58 करोड़ एवं 2004–05 रु0. 22.79 करोड़,।

1.6 शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

12वें वित्त आयोग द्वारा देखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों के जमीनी स्तर पर आंकड़ों की गुणवत्ता खराब थी एवं परिणामतः राज्य स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों पर सटीक सूचना का अभाव था। 12वें वित्त आयोग ने विश्वसनीय ऑकड़े सुनिश्चित करने के लिये उचित लेखांकन प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया जिससे शहरी स्थानीय निकायों की जरूरतों का आसानी से वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। 12वें वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं के बावजूद भी शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों पर सटीक सूचना उपलब्ध करने के लिये निदेशालय के साथ–साथ शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर भी कोई प्रणाली नहीं थी। यह मुख्यतः वित्तीय मामलों पर डाटाबेस तैयार न करने एवं निदेशालय के साथ शहरी स्थानीय निकायों की नेटवर्किंग के अभाव के कारण था।

नमूना जांच किये गये नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की वर्ष 2003–06 की अवधि में वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी में है–

(रु0 करोड़ में)

इकाई का नाम	इकाईयों की संख्या	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम अवशेष
वर्ष 2003–04 (परिशिष्ट 1,2 एवं 3)						
नगर निगम	5	43.27	223.33	266.60	227.96	38.64
नगर पालिका परिषद	19	12.23	39.71	51.94	36.32	15.62
नगर पंचायत	27	2.65	8.85	11.50	8.37	3.13
योग (प्रतिशत)	61	58.15	271.89	330.04	272.65	57.39 (17 प्रतिशत)
वर्ष 2004–05 (परिशिष्ट 4,5 एवं 6)						
नगर निगम	7	65.63	321.21	386.84	323.07	63.77
नगर पालिका परिषद	23	22.76	63.67	86.43	62.05	24.38
नगर पंचायत	37	3.79	16.71	20.50	14.26	6.24
योग (प्रतिशत)	67	92.18	401.59	493.77	399.38	94.39 (19 प्रतिशत)
वर्ष 2005–06 (परिशिष्ट 7, 8 एवं 9)						
नगर निगम	7	63.77	416.82	480.59	351.90	128.69
नगर पालिका परिषद	23	24.38	82.56	106.94	77.47	29.47
नगर पंचायत	37	6.24	21.68	27.92	20.90	7.02
योग (प्रतिशत)	67	94.39	521.06	615.45	450.27	165.18 (27 प्रतिशत)

(स्रोत– सम्प्रेक्षित इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन)

सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2003–06 की अवधि में व्यय की गति अवमुक्त अनुदान के अनुरूप नहीं थी। यद्यपि, अव्ययित अवशेष इस अवधि में 17 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक बढ़ गया था, निदेशक, स्थानीय निकाय ने शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त अनुदान का पूर्ण उपभोग दिखाया जैसा कि उपरोक्त प्रस्तरों 1.4.1.1 एवं 1.4.1.2 में दिया गया है। अनुदानों का अव्ययित अवशेष वांछित उददेश्यों की ओर समयबद्ध तरीके से धनराशियों के उपयोग के लिये खराब नियोजन को इंगित करता था।

1.7 बजट बनाना एवं बजटीय प्रक्रिया

बजट पर व्यय का आधिक्य

बजट पर आधिक्य व्यय वित्तीय नियमों में यह प्रबंध है कि बजट प्रावधानों के अनुसार व्यय सीमित होना चाहिए।

नगर निगम आगरा द्वारा वर्ष 2004–06 की अवधि में कुछ शीर्षों **(परिशिष्ट–10)** के अंतर्गत बिना आवश्यक प्रावधान बनाये बजट प्रावधानों से रु0 12.98 करोड़ अधिक व्यय किया गया एवं परवर्ती वर्षों के दौरान भी वह नियमित नहीं किया गया।

बजट प्रावधानों से अधिक व्यय कमजोर बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

1.8 लेखांकन व्यवस्थाएं

1.8.1 पारदर्शी लेखांकन एंव वित्तीय रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने एवं राज्य स्तर पर वार्षिक समेकित प्रतिवेदन तैयार करने के लिये शासन को एक अधिकारी नामित करना चाहिए था शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम के लेखाओं के रख रखाव के लिये लेखा अधिकारी उत्तरदायी थे जबकि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के लेखों के रख रखाव के लिये क्रमशः लेखाकार एवं लेखा लिपिक उत्तर दायी थे। चूंकि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये किसी प्राधिकृत अधिकारी के नामांकन पर विचार नहीं किया गया था, इसलिये राज्य स्तर पर न तो लेखा संकलित किया गया था और न ही राज्य सरकार एवं विधान सभा को कोई समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय अपने लेखों का रखरखाव को नकद आधार पर कर रहे थे तथा मात्र प्राप्तियॉ एवं भुगतान लेखे तैयार कर रहे थे। लेखाओं पर तुलन पत्र के आभाव में उनके वित्तीय व्यवहारिकता के सही एवं उचित मूल्यांकन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.8.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप का अपनाना

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिये उपार्जित आधार पर बजट एवं लेखाकरण का प्रारूप निर्धारित किया गया। इन प्रारुपों की स्वीकृति एवं शहरी स्थानीय निकाय के तीनों श्रेणियों में क्रियान्वयन के लिये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को वितरित किया गया था (जून 2003)। राज्य सरकार द्वारा प्रारूपों की स्वीकृति प्रतीक्षित थी (मई 2008)। इसने शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कमजोर लेखांकन एंव वित्तीय रिपोर्टिंग में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूपों में लेखाओं का रख रखाव न किये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति का निर्धारण किया जाना संभव नहीं था।

1.8.3 रोकड़ शेषों का मिलान न किया जाना

प्रत्येक माह के अंत में लेखों की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिये कोषागार/बैंकों की पास बुक एवं रोकड़बही से शेषों का मिलान किया जाना चाहिए था। दो नगर निगमों, दो नगर पालिका परिषदों एवं 26 नगर पंचायतों की नमूना जांच में पाया गया कि कोषागार/बैंक पासबुक के अवशेषों का मिलान रोकड़ बही से नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, रोकड़ बही एवं कोषागार/बैंक पासबुक **(परिशिष्ट–11)** में रु0 4.24 करोड़ का अंतर 31 मार्च 2006 तक का मिलान नहीं किया गया था। रोकड़ शेष के मिलान के अभाव में इन स्थानीय निकायों के लेखों की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त धनों के कपट/गबन/दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

1.8.4 रोकड़ बही में अपरिलक्षित आहरित धनराशि

1.8.4.1 नगर निगम कानपुर में ठेकेदार को रु0 81380.00 की धनराशि, चेक संख्या–424634 दिनांक 29.03.2005 इलाहाबाद बैंक (खाता संख्या–3447) से भुगतान किया गया जिसे मई 2006 तक रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं किया गया था। इससे नगर निगम के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियां परिलक्षित होती हैं।

1.8.4.2 नगर पंचायत दौराला, मेरठ में रोकड़ बही की बन्दी मई 2005 के बाद नहीं हुई थी। 11वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में फरवरी, 2004 एवं मार्च 2005 में प्राप्त क्रमशः रु0 44710.00 एवं रु0 28111.00 तथा 12वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में मार्च 2006 में प्राप्त रु0 125000.00 की प्रविष्टि सितम्बर 2006 तक रोकड़ बही में नहीं की गई थी। नगर पंचायत ने उत्तर दिया

(सितम्बर 2006) कि रोकड़ बही में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। इस संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी (मई 2008)।

1.8.4.3 नगर पंचायत बिलराम (एटा) में मार्च 2004 के अंत में रु0 613514.00 अंतिम शेष था। तथापि वर्ष 2004–05 के लिये अप्रैल 2004 में रु 644192.00 का प्रारम्भिक शेष दिखाया गया था। रु0 30678.00 के अंतर का मई 2006 तक समाधान नहीं किया गया था। व्यय के विस्तृत लेखा के आभाव से धनों के गबन एवं दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। यह सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच के लिए ध्यान आकर्षित करता है।

1.9 लेखापरीक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 मुख्य नगर लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने का उपबन्ध करता है जो प्रथम स्तर (नगर निगम) के सभी लेखों एवं सभी अभिलेखों को देखेगा। द्वितीय एवं तृतीय स्तरों (नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) के लिये उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा प्राथमिक लेखापरीक्षक के तौर पर इन निकायों की लेखापरीक्षा करता है। निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा की सहायता के लिये एक संयुक्त निदेशक, पांच उप निदेशक, 46 सहायक निदेशक एवं 65 जिला लेखापरीक्षा अधिकारी है।

11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि शहरी स्थानीय निकायों के तीनों श्रेणियों/स्तरों के लेखाओं के सही ढंग से रख रखाव एवं उनकी लेखापरीक्षा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कार्य का दायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रहेगा। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के उचित रख रखाव एवं उनकी लेखापरीक्षा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कार्य का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियॉ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपा गया।

1.10 प्राथमिक लेखापरीक्षा बकाया

प्राथमिक लेखापरीक्षक होने के नाते निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा का राज्य में शहरी स्थानीय निकाय की सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता थी। वर्ष 2004–07 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा का बकाया,

निम्नलिखित विवरण के अनुसार 3.37 प्रतिशत से 9.15 प्रतिशत के मध्य रहाः–

वर्ष	लेखपरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की संख्या	वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	बकाया इकाईयां	बकाया प्रतिशत में
2004–05	623	602	21	3.37
2005–06	623	596	27	4.33
2006–07	623	566	57	9.15

(स्रोत निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा प्रदत्त सूचना)

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ने बताया (सितम्बर 2007) कि उनके संगठन में मानव शक्ति के आभाव के कारण इकाईयों की लेखापरीक्षा बकाया थी।

1.11 निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तर

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना (सितम्बर 2007) के अनुसार 2006–07 के अंत तक अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति निम्नवत थीः–

इकाईयों का नाम	वर्ष 2006–07 तक प्रस्तरों की संख्या	वर्ष 2006–07 में निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष के अंत में बकाया प्रस्तरों की संख्या
नगर निगम	21,556	151	21,405
नगर पालिका परिषद	1,41,893	5,216	1,36,677
नगर पंचायत	1,31,300	8,487	1,22,813
योग	**2,94,749**	**13,854 (प्रतिशत 4.70)**	**2,80,895**

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2006–07 के दौरान मात्र 4.70 प्रतिशत ही लेखापरीक्षा प्रस्तर निस्तारित किये जा सके। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ने बताया (सितम्बर 2007) कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने में अरूचि के कारण शेष प्रस्तरों को निस्तारित नहीं किया जा सका। इससे यह इंगित होता है कि शहरी स्थानीय निकाय, प्राथमिक लेखापरीक्षा के लिये अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।

1.12 निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के धारा 8 (3) के उपबन्धों के अधीन निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं पर उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा की समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष रखने हेतु सरकार को प्रेषित करना था। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा से संग्रहित (मई 2008) सूचनाओं के अनुसार ऐसी अंतिम वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2003–04 के लिये तैयार की गयी थी। वर्ष 2001–02 तक का प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परवर्ती वर्षों के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार क्यों नहीं किये गये, इस ओर इंगित करने पर निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ने कोई उत्तर नहीं दिया।

1.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण/ लेखापरीक्षा सौपे जाने की स्थिति।

शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के सही ढंग से रख रखाव एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनकी लेखापरीक्षा पर तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण कार्य की ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है। फलस्वरुप राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अक्टूबर 2001 में स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा सौंपी गयी।

1.14 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2006–07 के दौरान वर्ष 2005–06 के लिये सात नगर निगमों **(परिशिष्ट 12),** 23 नगर पालिका परिषदों **(परिशिष्ट–13)** एवं 37 नगर पंचायतों **(परिशिष्ट–14)** के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा की गयी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा परवर्ती प्रस्तरों एवं अध्यायों में की गई है।

1.15 बारहवें वित्त आयोग अनुदानों का उपभोग

बारहवें वित्त आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के लिये वर्ष 2005–2010 की अवधि हेतु रु0 517.00 करोड़ इस अनुशंसा के साथ चिन्हित किया गया कि अनुदान सहायता का न्यूनतम 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग किया जाए। अनुशंसानुसार, राज्य सरकार के लिये यह अनिवार्य था कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त अनुदान की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर

शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करें तथा साथ ही साथ सुनिश्चित करें कि अनुदान उनके बैंक खातों में जमा हो गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एवं राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त अनुदानों की स्थिति निम्नवत हैः–

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों की धनराशि	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों की प्राप्ति की तिथि	शासन द्वारा शहरी निकायों को कुल आवंटित अनुदान	शासन द्वारा स्थानीय निकायों को अवमुक्त अनुदान	राज्य सरकार द्वारा अनुदान की अवमुक्ति की तिथि
2005–06	51.70 (प्रथम किस्त) 51.70 (द्वितीय किस्त)	28.11.2005 02.03.2006	51.70 51.70	51.70 51.70	27.1.2006 16.9.2006
2006–07	51.70 (प्रथम किस्त) 51.70 (द्वितीय किस्त)	13.9.2006 18.5.2007	51.70 51.65	51.70 51.65	27.10.2006 28.05.2007

(स्रोतः शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाएं)

18 शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच (2006–07) में देखा गया कि 12वें वित्त आयोग (2005–06) की प्रथम एवं द्वितीय किस्त को कोषागार/ बैंक खाते में क्रमशः 109 दिन एवं 148 दिन **(परिशिष्ट 15 और 16)** के विलम्ब से जमा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 12वें वित्त आयोग अनुदान (2005–06) की पहली किस्त को विलम्ब से हस्तांतरित करने के कारण रु0 26.35 लाख के ब्याज का भुगतान किया गया। तथापि, दूसरी किस्त के हस्तांतरण में विलम्ब के लिये ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया था।

तीन नगर निगमों, आठ नगर पालिका परिषदों एवं 12 नगर पंचायतों की नमूना जांच (2006–07) में पाया गया कि 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2005–06 के लिए उपलब्ध कराई गयी धनराशि रु0 7.71 करोड़ में से रु0 6.34 करोड़ अप्रयुक्त पड़े रहे **(परिशिष्ट–17)** लगभग 82 प्रतिशत 12वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग न किया जाना शहरी स्थानीय निकायों की ओर से क्षेत्र की जनता के लिये नागरिक सुविधाएं जैसे सड़कें, स्वच्छता, जलापूर्ति आदि उपलब्ध कराने में अरूचि को दर्शाता है।

1.16 द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं

वर्ष 2001–2006 तक की अवधि के लिये फरवरी 2000 में द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों पर 5 भागों 245 प्रस्तरों में समाविष्ट

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया (जून 2002)। प्रस्तरों का विस्तार निम्नवत है:–

भागों की संख्या	विवरण	प्रस्तरों की संख्या
1	सामान्य	11
2	पंचायती राज्य संस्थाएं	93
3	शहरी स्थानीय निकाय	107
4	जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ	05
5	रूपान्तरण के सिद्धान्त एवं स्थानीय निकायों के अंश	29

(स्रोतः वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के 107 प्रस्तरों में से 74 प्रस्तरों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, जो मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के निबल कर आगम का निर्धारित हिस्सा स्थानान्तरित किये जाने, क्रियात्मक जिला नियोजन समिति का गठन करने एवं नगर निगमों की तरह नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को अपने संसाधनों में लाइसेंस शुल्क इत्यादि के माध्यम से वृद्धि करने हेतु विकास कर एवं विज्ञापन कर लगाने तथा ई–गवर्नेन्स लागू करने एवं शहरी स्थानीय निकायों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित मुददे थे। सरकार ने 12 प्रस्तरों को सैद्धान्तिक/आंशिक रूप से स्वीकार किया जो कि मुख्यतः क्षेत्रफल एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर उपविधियां बनाने सेवा कर का आरोपण एवं वसूली, शहरी स्थानीय निकायों आदि के पूंजीगत आवश्यकताओं के लिये विशेष प्रयोजन संस्थान के सृजन इत्यादि से सम्बन्धि थे एवं अनुशंसा के शेष 21 प्रस्तर जो मुख्यतः व्यवसाय कर लगाने, खाली भूमि कर एवं नजूल भूमि को फ्री होल्ड भूमि में बदलने से अर्जित आय का आधा हिस्सा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने आदि से सम्बन्धित थे, को स्वीकार नहीं किया।

1.17 कर संग्रहण में बकाया

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों से कर, किराया, शुल्क, लाइसेंस, जारी करने, तहबाजारी, टैक्सी स्टैंड आदि के माध्यम से राजस्व उपार्जित किये जाते हैं।

छः नगर निगमों, छः नगर पालिका परिषदों एवं 10 नगर पंचायतें में 2005–06 में 41.90 करोड़, जिसमें पूर्व वर्षों के रु0 16.64 करोड़ सम्मिलित थे, की मांग की गयी। इसमें से मात्र रु0 19.51 करोड़ की धनराशि वसूल हुई। रु0 22.39 करोड़ की धनराशि किरायेदार, लाइसेंस एवं ठेकेदारों से किराया, लाइसेंस शुल्क इत्यादि के रूप में एक वर्ष से अधिक समय से बकाया थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 18, 19 एवं 20 में हैं। चूंकि नमूना जांच में सम्मिलित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल न किये गये बकायों का अवधिवार विवरण नहीं बनाया गया था, वसूली हेतु लम्बित देयों के आवर्तन का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

1.18 आंतरिक नियंत्रण

एक संगठन में एक ठोस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उददेश्य हैं–

- क्रमबद्ध, मितव्ययी, दक्षता एवं प्रभावी संचालन को प्रोत्साहित करना एवं संगठन के लक्ष्यों के अनुकूल गुणवत्ता उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदान करना।
- अपव्यय, दुरूपयोग, कुप्रबंधन, गलतियों कपट एवं अनियमितताओं से होने वाली हानि से बचाने के लिये सुरक्षात्मक उपाय।
- नियमों, कानूनों एवं प्रबंधन निर्देशों का अनुपालन ; और
- विश्वसनीय वित्त एवं प्रबंधन आंकड़ों का विकास एवं अनुरक्षण एवं प्रतिवेदनों में समय से उन आंकड़ों को सही रुप सें प्रस्तुत करना।

वर्ष 2006–07 के लिये शहरी स्थानीय निकायों के खातों के नमूना जांच में पाया गया कि 890 प्रस्तर, खराब वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय अनियमितताओं के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान, निष्फल व्यय, अनियमित व्यय एवं परिहार्य देयताएं इत्यादि से संबंधित थे जो वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित किये गये। तथापि इन प्रस्तरों का अनुपालन बहुत खराब था एवं लेखांकन प्रणाली को सुधारने एवं वित्तीय अनयिमितताओं से बचने के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मजबूती के लिये उपचरात्मक उपाय करने में शहरी स्थानीय निकायों की उदासीनता दिखायी देती है।

1.19 निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं पर आधारित मूल्यांकन के लिये जमीनी स्तर से भारत सरकार के स्तर तक वित्त पर नेटवर्क डाटाबेस निर्माण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा

सका। परिणामस्वरूप, मांग की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के मानक लेखांकन प्रारूप को प्रभावी बनाने हेतु शासन द्वारा बजट एवं लेखा नियम बनाया जाना शेष था। सरकार ने द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निधि का अंतरण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों को रु0 998 करोड़ का कम आवंटन किया गया। निदेशक स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिक्रया बहुत खराब थी। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन शहरी स्थानीय निकायों को जारी प्रस्तरों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी वित्तीय प्रबंधन को सुधारने एवं विवेकपूर्ण तरीके से लोकनिधि के उपयोग के लिये उपचारात्मक उपाय अभी तक नहीं किये थे।

1.20 संस्तुतियां

- सरकार के स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पर उनकी अपेक्षानुसार आवश्यकता का आधारित मूल्यांकन पर नेटवर्क डाटाबेस विकसित करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।
- सरकार को द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के अंतरण हेतु निर्धारित मानकों को अंगीकार करना चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित मानक बजट लेखा प्रारुप अपनाया गया है।
- शहरी स्थानीय निकायों, को निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के प्राथमिक लेखापरीक्षा के प्रति उत्तरदायी तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में तैयार लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रति अनुक्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

अध्याय–2
लेन–देनों की लेखापरीक्षा

अध्याय–2

लेन–देनों की लेखापरीक्षा

2.1 सीमेंट कंक्रीट सड़क कार्यो पर अधिक भुगतान।

नगर पालिका परिषद सम्भल, मुरादाबाद द्वारा सीमेंट कंक्रीट सड़क कार्य पर लोक निर्माण विभाग से दरों की सत्यापन के बिना अधिक दर से भुगतान करने पर ठेकेदारों को रु. 34.72 लाख का अधिक भुगतान ।

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सदा अपने आप में यह स्मरण रखना चाहिए कि सार्वजनिक निधि से व्यय उसी सचेतता से किया जाये जैसे एक सामान्य विवेकी व्यक्ति अपने स्वयं के व्यय में करता है। अग्रेतर, प्रबंधन समीक्षा के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है कि आंतरिक नियन्त्रण की अंतर्निमित प्रणाली ऐसी युक्तियुक्त है कि सार्वजनिक निधि के धोखाधड़ी, चोरी एवं सभी स्तरों पर प्राधिकारों के दुरूपयोग को रोकने का उपाय है।

नगर पालिका परिषद, सम्भल मुरादाबाद के अभिलेखों की जॉच (अगस्त 2006 एवं मई 2007) में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित दरों को प्राप्त किए बिना अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद ने दरों का विश्लेषण तैयार किया जिससे लोक निर्माण विभाग के एस.आई. संख्या–773 के अनुसार तैयार सबग्रेड के ऊपर 10 से.मी. मोटे स्लैब को बिछाने के लिए सी.सी. सड़कों[10] की निर्माण दर रु. 2759.00 प्रति घन.मी. थी। तथ्यों की अनदेखी करते हुए अवर अभियन्ता द्वारा निर्धारित दर को अधिकारिक तौर पर सत्यापनार्थ न तो लोक निर्माण विभाग के नोडल खण्ड[11] को भेजा गया और न ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सत्यापित दरों को प्रमाणित किया गया। वर्ष 2000–03 की अवधि में नगर पालिका परिषद द्वारा 143 सी.सी. सड़कों का निर्माण अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–I, लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में दरों की औपचारिक जॉच के आधार पर किया गया था एवं वर्ष 2000–03 की अवधि में 6501.76 घन.मी. के सी.सी. कार्यो के लिए इस दर (रु 2759 प्रति घन मी.) से भुगतान किया गया। उसी विशिष्टियों के सी.सी. कार्यो के लिये मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद की मॉग पर अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुदाराबाद द्वारा अनुमोदित। (दिसम्बर 2001) दर मात्र रु

[10] सीमेंट, मोटा बालू एवं 4 से.मी. गेज अनुमोदित स्टोन ब्लास्ट का 1:2:4 के अनुपात में।
[11] प्रांतीय प्रखण्ड लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद।

2225 प्रति धन मी. थी। उच्च दर पर भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को रु 34.72 लाख[12] का अधिक भुगतान जिसमें से 4529.23 घन मी. हेतु रु. 24.19 लाख का भुगतान अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा रु. 2225.00 के न्यूनतम दर अनुमोदित किए जाने के उपरान्त भी किया गया।

नगर पालिका परिषद ने अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2007) एवं सूचित किया कि नगर पालिका परिषद के सम्बद्ध अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (सितम्बर 2007); उत्तर अप्राप्त (मई 2008) था।

2.2 रिफ्यूज कलेक्टरों के क्रय पर निष्फल व्यय

स्थल की अनुपलब्धता से स्थानांतरण स्टेशन (रैम्प) का निर्माण न होने के कारण म्युनिसिपल क्षेत्र का कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए रु 22.10 लाख की लागत से क्रय किए गए बल्क रिफ्यूज कलेक्टरों का चार वर्षो से अधिक समय क बाद भी प्रयोग नहीं किया जाना।

वित्तीय नियमानुसार, सामग्रियों के समान उपकरणों एवं संयन्त्रों का क्रय केवल तभी किया जाना चाहिए जब उनकी वास्तविक आवश्यकता हो। बिना इनकी उपयोगिता सुनिश्चित किए इनके क्रय पर निधि अवरूद्ध करना एवं इनका अनिश्चित अवधि के लिए ढ़ेर लगाना राज्य के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुपालन जिसमें शासकीय निधि के विवेकपूर्ण व्यय का प्रावधान है, के अनुपालन में शिथिलता को दर्शाता है। सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना निधियों का व्ययवर्तन भी वित्तीय नियमों के अधीन गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

कूड़ा एवं शहर के विभिन्न स्थानों से ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने की समस्या से निजात पाने तथा परिवहन लागत को कम करने एवं कूड़ा के शीघ्र निस्तारण के लिए नगर निगम वाराणसी ने दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन प्राप्त अनुदानों में से रु 15.00 लाख की लागत से एक स्थानांतरण स्टेशन के निर्माण (कूड़ा फेंकने हेतु भूमि का उपयोग करने के लिये) एवं बल्क रिफ्यूज कलेक्टर (प्रत्येक की क्षमता 21 क्यूसेक मी.) के रूप में प्रयोग करने के लिए रु 24 लाख की अनुमानित लागत के दो लम्बी चैसिस ट्रिपर ट्रकों के क्रय का निर्णय लिया (दिसम्बर 1998)।

[12] (रु 2759.00 रु 2225.00) × 6501.76 घन मी. रु 34.72 लाख।

अभिलेखों की जॉच (मई 2006) एवं नगर निगम वाराणसी से अग्रेतर, संकलित सूचनाओं (अगस्त 2007) से ज्ञात हुआ कि नगर निगम द्वारा रु 13.40 लाख की लागत से लम्बी चैसिस के दो ट्रकों का क्रय (जून 2000) किया गया एवं उनके बाह्य संरचना के निर्माण पर रु 8.70 लाख का व्यय किया गया ये बल्क रिफ्यूज कलेक्टर तथापि जनवरी 2003 तक अप्रयुक्त पड़े रहें क्योंकि स्थल उपलब्ध न होने से स्थानांतरण स्टेशन (रैम्प) का निर्माण नही किया जा सका था (अगस्त 2007)। स्थानान्तरण स्टेशन के निर्माण हेतु आवंटित रु 15.00 लाख की धनराशि अनाधिकृत तौर पर अन्य औचित्य रहित कार्यो में व्ययवर्तित एवं व्यय की गयी थी।

नगर निगम ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (अगस्त 2007) कि स्थल की अनुपलब्धता के कारण स्थानांतरण स्टेशन का निर्माण नहीं किया जा सका एवं इसके निर्माण हेतु स्वीकृत निधि मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति के अनुमोदन से अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के लिए व्यवर्तित की गयी।

अतः तात्कालिक आवश्यकता के मूल्यांकन के बिना यहां तक कि स्थानान्तरण स्टेशन के निर्माण के बिना, रिफ्यूज क्लेक्टरों के क्रय पर किया गया रु 22.10 लाख का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, शासकीय अनुमोदन के बिना अन्य कार्यो के लिए रु 15.00 लाख का व्ययवर्तन वित्तीय नियमों का उल्लघंन था।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अप्रैल 2007); उत्तर प्रतीक्षित (मई 2008) था।

2.3 चिकित्सकों की नियुक्ति पर अनियमित व्यय

नगर निगम, कानपुर में शासनादेश की अवहेलना करते हुए डाक्टरों की सेवाएँ जारी रखने के परिणामस्वरूप रु 23.26 लाख का अनियमित व्यय।

शासन द्वारा निर्देश जारी (सितम्बर 1990) किया गया कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नगर निगमों की केन्द्रीकृत सेवाओं में कोई नियुक्ति नहीं होंगी एवं इस श्रेणी में शासकीय अनुमोदन के बिना पूर्व नियुक्त लोगों की सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। यदि नगर निगम में केन्द्रीकृत सेवाओं के किसी पद के लिए दैनिक वेतन पर कोई नियुक्ति होती है तो इसके लिए मुख्य म्यूनिसिपल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

अभिलेखों की जॉच (मई 2006) एवं नगर निगम, कानपुर से अग्रेतर एकत्रित सूचनाओं (जून 2007) से ज्ञात हुआ कि शासकीय अनुमोदन के बिना निगम द्वारा जुलाई 1985 से अक्टूबर 1990 के मध्य

केन्द्रीकृत सेवाओं में दैनिक वेतन पर दस चिकित्सकों[13] को विभिन्न क्लीनिकों/प्रसूति केन्द्रों में नियुक्त किया गया था। इन चिकित्सकों की सेवाएँ उपरोक्त आदेश के अनुपालन में समाप्त कर दी जानी चाहिए थी। तथापि, निगम द्वारा अगस्त 2006 तक इन डाक्टरों की सेवाएँ समाप्त नही की गयी थी। इस प्रकार नगर निगम द्वारा जून 1996 से अगस्त 2006 की अवधि में उनके वेतन एवं बोनस पर रु 23.26 लाख का अनियमित व्यय किया गया जैसा कि विवरण परिशिष्ट 21 में दर्शाया गया है। तथापि, उसके बाद कोई भुगतान नही किया गया था (जून 2007)।

नगर निगम ने बताया (मई 2006) कि मुख्य म्युनिसिपल अधिकारी द्वारा उन तिथि को पहले से ही दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे चिकित्सकों की नियुक्ति का आदेश दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दैनिक वेतन पर नियुक्ति मात्र अप्रत्याशित एवं आकस्मिक आपातिक प्रकृति के कार्यो के लिए ही किया जा सकता था। अग्रेत्तर 18 वर्षो से नियमित आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति के स्थान पर तदर्थ व्यवस्था से औषधालयों के प्रचालन से यह इंगित होता है कि नगर निगम अपने निवासियों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विफल था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2007); उत्तर प्रतीक्षित (मई 2008) था।

2.4 व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के अनुबन्ध पर नियुक्ति से अनियमित व्यय

नगर निगम, कानपुर में व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के अनुबन्ध पर परिनियोजन से रु 2.86 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

शासकीय निर्देशानुसार (जनवरी 2001) पदों में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की कटौती करने के साथ–साथ यह भी प्राविधानित था कि रिक्त पदों के कारण उत्पन्न कार्यो को अनुबंध के आधार पर तृतीय पार्टी के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। तथापि संविदा/अनुबंध पर कर्मचारियों/श्रमिकों की सीधे नियुक्ति निषेध थी। ये निर्देश स्थानीय निकायों पर भी लागू थे।

नगर निगम, कानपुर के अभिलेखों की जॉच (अप्रैल 2006) में पाया गया कि शासकीय प्रावधानों के विपरीत, आयुक्त, नगर निगम ने वर्ष 2004–06 की अवधि हेतु व्यक्तिगत सफाई कर्मियों से टुकड़ों में अनुबंध (प्रत्येक खण्ड में एक माह की अवधि हेतु) निष्पादित कर सफाई कर्मियों की नियुक्ति को अनुमोदित किया। तदनुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम ने म्युनिसिपल क्षेत्र में सफाई करने एवं एकत्रित अपशिष्ट को अपशिष्ट केन्द्र तक वहन करने हेतु

[13] एलोपैथिकः 2, होम्योपैथिकः 3, आयुर्वेदिकः 4, एवं यूनानीः 1

सफाई कर्मियों को सीधे अनुबंध के माध्यम से नियोजित किया था। नगर निगम ने वर्ष 2004–06 की अवधि में अनुबंध द्वारा सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर रु 2.86 करोड़ का व्यय

किया जिसका विवरण निम्नवत है:–

(रु लाख में)

अवधि	अनुबंध पर नियुक्त सफाई कर्मियों की संख्या	प्रति सफाई कर्मी प्रति 30 दिनों का दर	भुगतान की गयी धनराशि
अप्रैल 2004	779	1000	7.79
मई 2004 से अगस्त 2004	779	1500	46.74
सितम्बर 2004	802	1500	12.03
अक्टूबर 2004 से मार्च 2006	811	1500	218.97
योग	**3171**		**285.53**

अनुबंध पत्र के निष्पादन द्वारा तृतीय पार्टी को शामिल करने के बजाय सफाई कर्मियों के सीधे व्यक्तिगत अनुबंध पर नियुक्ति से न केवल शासकीय आदेशों का उल्लघंन किया गया बल्कि रु 2. 86 करोड़ का अनियमित व्यय भी हुआ।

नगर निगम ने बताया (अप्रैल 2006) कि कर्मचारी संघ के विरोध के कारण शासकीय निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका था। उत्तर मान्य नही था क्योंकि कर्मचारियों के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए कथित निर्देशों के नियमन में छूट प्रदान करने नियमितीकरण करने हेतु शासन को संदर्भित करना चाहिए था जो नगर निगम द्वारा नही किया गया।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अप्रैल 2007) उत्तर प्रतीक्षित (मई 2008) था।

2.5 परिहार्य देयताएँ

नगर निगम आगरा में भविष्य निधि अभिदान को विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को ब्याज के रूप में देय रु 8.18 लाख की परिहार्य देयताएँ सृजित हुई।

नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं उपदान नियम के अनुच्छेद 14 के अनुसार ब्याज उपार्जित करने हेतु भविष्य निधि अभिदान को प्रत्येक माह के चौथे दिन के पूर्व बैंक में जमा कर दिया जाए।

नगर निगम आगरा के अभिलेखों की जॉच (अगस्त 2006) से ज्ञात हुआ कि सितम्बर 2003 से अगस्त 2004 के मध्य अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिलों से भविष्य निधि अभिदान की कटौती जो रु 1.92 करोड़ थी, को अप्रैल 2005 से अगस्त 2005 की अवधि में बैंक में जमा किया गया था। अभिदानों को एक से दो वर्षो के विलम्ब से बैंक में जमा करने के कारण भविष्य निधि पर ब्याज की हानि हुई।

नगर निगम ने बताया कि निधियों के अभाव के कारण भविष्य निधि के अभिदानों को समय से बैंक में जमा नही किया जा सका। उत्तर मान्य नही था क्योंकि वर्ष 2003–04 की अवधि में राज्य वित आयोग की अनुशंसाओं से प्राप्त अनुदानों को सम्मिलित करते हुए नगर निगम की अपनी प्राप्तियॉ रु 33.38 करोड़ थी जबकि स्थापना एवं पेंशन पर व्यय मात्र रु 25.73 करोड़ था। अतः नगर निगम के पास समय से भविष्य निधि अभिदान जमा करने हेतु पर्याप्त निधि थी।

भविष्य निधि अभिदानों को विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को ब्याज के रूप में देय रु 8.18 लाख की परिहार्य देयताएं सृजित हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2007); उत्तर प्रतीक्षित (मई 2008) था।

इलाहाबाद
दिनांकः 25 अगस्त, 2008

(अन्जन कुमार आइच)
वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांकः 25 अगस्त, 2008

(रीता मित्रा)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट–1

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर निगमों की वर्ष 2003–04 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	आगरा	990.18	4078.27	5068.45	3905.75	1162.70
2	मुरादाबाद	973.13	2123.01	3096.14	2277.31	818.83
3	झांसी	298.13	1239.11	1537.24	1150.39	386.85
4	कानपुर	1413.11	11614.18	13027.29	12378.08	649.21
5	अलीगढ़	652.48	3278.90	3931.38	3085.00	846.38
	योग	**4327.03**	**22333.47**	**26660.50**	**22796.53**	**3863.97**

परिशिष्ट–2

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर पालिका परिषदों की वर्ष 2003–04 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	शामली	मुजफ्फरनगर	95.07	446.95	542.02	507.50	34.52
2	बिलग्राम	हरदोई	12.01	98.60	110.61	108.38	2.23
3	उतरौला	बलरामपुर	70.70	122.26	192.96	118.55	74.41
4	मोहमदी	लखीमपुरखीरी	33.80	136.70	170.50	103.12	67.38
5	पीलीभीत	पीली भीत	132.74	352.53	485.27	371.31	113.96
6	देवबंद	सहारनपुर	155.15	265.16	420.31	260.18	160.13
7	सोरो	एटा	16.01	89.94	105.95	78.22	27.73
8	वाह	आगरा	26.77	49.70	76.47	54.36	22.11
9	कयराना	मुजफ्फरनगर	117.40	195.90	313.30	208.43	104.87
10	सम्भल	मुरादाबाद	71.22	971.14	1042.36	545.10	497.26
11	मिश्रिख	सीतापुर	19.98	71.31	91.29	67.90	23.39
12	सरधना	मेरठ	91.62	192.10	283.72	216.38	67.34
13	खैर	अलीगढ़	39.40	103.41	142.81	127.37	15.44
14	फतेहपुर सीकरी	आगरा	37.81	112.03	149.84	110.20	39.64
15	कौसीकला	मथुरा	17.29	149.16	166.45	146.18	20.27
16	सयाना	बुलंदशहर	113.51	159.46	272.97	104.15	168.82
17	चिरगांव	झांसी	44.56	44.26	88.82	57.66	31.16
18	बरुआ सागर	झांसी	61.65	86.22	147.87	105.13	42.74
19	चन्दौसी	मुरादाबाद	66.35	324.21	390.56	341.76	48.80
		योग	**1223.04**	**3971.04**	**5194.08**	**3631.88**	**1562.20**

परिशिष्ट–3

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर पंचायतों की वर्ष 2003–04 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	बिलसांदा	पीलीभीत	17.56	18.91	36.47	35.25	1.22
2	नुरिया हुसैनपुर	पीलीभीत	14.23	29.04	43.27	37.79	5.48
3	मनकापुर	गोडा	12.7	54.88	67.58	46.77	20.81
4	मैलानी	लखीमपुर खीरी	5.34	33.96	39.30	25.41	13.89
5	मीरापुर	मुजफ्फर नगर	16.56	38.62	55.18	33.79	21.39
6	माधोगढ़	जालौन	13.19	22.11	35.30	27.83	7.47
7	अमरोधा	कानपुर देहात	14.29	19.21	33.50	21.25	12.25
8	झिन्झक	कानपुर देहात	4.84	33.03	37.87	29.51	8.36
9	बेहट	सहारनपुर	11.59	51.05	62.64	45.62	17.02
10	दरौला	मेरठ	2.80	23.11	25.91	20.71	5.20
11	तम्बूरकम	सीतापुर	6.44	43.26	49.70	28.21	21.49
12	पैतनपुर	सीतापुर	15.94	18.63	34.57	27.03	7.54
13	नरौली	मुरादाबाद	15.27	22.11	37.38	33.04	4.34
14	भोजपुर	मुरादाबाद	1.50	45.28	46.78	38.17	8.61
15	फतेहाबाद	आगरा	9.92	38.75	48.67	28.31	20.36
16	पिनहट	आगरा	11.20	40.40	51.60	31.28	20.32
17	जैथरा	एटा	5.64	16.38	22.02	19.02	3.00
18	बिलराम	एटा	14.24	20.24	34.48	28.35	6.13
19	कटेरा	झांसी	5.41	9.67	15.08	13.03	2.05
20	पाली	ललितपुर	2.75	10.26	13.01	10.40	2.61
21	गरौठा	झांसी	3.51	16.28	19.79	15.22	4.57
22	रानीपरु	झांसी	6.35	25.50	31.85	28.64	3.21
23	किथोर	मेरठ	4.56	71.64	76.20	44.46	31.74
24	कुन्दर्की	मुरादाबाद	17.53	41.59	59.12	53.81	5.31
25	सिरशी	मुरादाबाद	12.85	60.99	73.84	35.75	38.09
26	हरदुआगंज	अलीगढ़	3.67	41.72	45.39	35.15	10.24
27	छर्रा	अलीगढ़	15.23	38.38	53.61	43.07	10.54
		योग	**265.11**	**885.00**	**1150.11**	**836.87**	**313.24**

परिशिष्ट–4

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर निगमों की वर्ष 2004–05 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	आगरा	1162.70	5416.80	6579.50	5004.91	1574.59
2	मुरादाबाद	818.83	2186.96	3005.79	2448.12	557.67
3	झांसी	386.85	1441.65	1828.5	1104.26	724.24
4	कानपुर	649.21	12382.90	13032.11	12651.86	380.25
5	वाराणसी	1420.26	4162.59	5582.85	4410.67	1172.18
6	अलीगढ़	846.38	3402.48	4248.86	3271.56	977.30
7	बरेली	1278.85	3127.56	4406.41	3415.33	991.08
योग		**6563.08**	**32120.94**	**38684.02**	**32306.71**	**6377.31**

परिशिष्ट–5

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर पालिका परिषदों की वर्ष 2004–05 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	शामली	मुजफ्फरनगर	34.52	559.14	593.66	548.58	45.08
2	बिलग्राम	हरदोई	2.23	118.50	120.73	106.26	14.47
3	उतरौला	बलरामपुर	74.41	140.33	214.74	140.12	74.64
4	मोहमदी	लखीमपुरखीरी	67.38	156.12	223.50	111.40	112.10
5	बलरामपुर	बलरामपुर	171.01	459.72	630.73	480.33	150.40
6	पीलीभीत	पीली भीत	113.96	418.90	532.86	399.07	133.79
7	देवबंद	सहारनपुर	160.13	335.15	495.28	373.01	122.27
8	सोरो	एटा	27.73	95.92	123.65	93.94	29.71
9	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी	106.67	558.32	664.99	538.29	126.70
10	वाह	आगरा	22.11	52.65	74.76	56.28	18.48
11	मुगलसरांय	चदौसी	174.32	473.90	648.22	366.01	282.21
12	कयराना	मुजफ्फरनगर	104.87	265.63	370.50	183.94	186.56
13	सम्भल	मुरादाबाद	497.26	646.61	1143.87	932.63	211.24
14	मिश्रिख	सीतापुर	23.39	72.40	95.79	70.71	25.08
15	सरधना	मेरठ	67.34	234.96	302.30	257.22	45.08
16	उरई	जलौन	262.00	603.94	865.94	490.93	375.01
17	खैर	अलीगढ़	15.44	131.84	147.28	118.45	28.83
18	फतेहपुर सिकरी	आगरा	39.64	124.79	164.43	139.72	24.71
19	कौसीकला	मथुरा	20.27	186.81	207.08	153.98	53.10
20	सयाना	बुलंदशहर	168.82	197.59	366.41	135.11	231.30
21	चिरगांव	झांसी	31.16	58.02	89.18	72.64	16.54
22	बरूआसागर	झांसी	42.74	135.55	178.29	133.45	44.84
23	चन्दौसी	मुरादाबाद	48.80	340.17	388.97	303.44	85.53
		योग	**2276.20**	**6366.96**	**8643.16**	**6205.51**	**2437.67**

परिशिष्ट–6

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर पंचायतों की वर्ष 2004–05 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	बिलसांदा	पीलीभीत	1.22	21.32	22.54	21.29	1.25
2	नुरिया हुसैनपुर	पीलीभीत	5.48	73.68	79.16	48.53	30.63
3	मनकापुर	गोडा	20.81	62.93	83.74	56.95	26.79
4	मैलानी	लखीमपुर खीरी	13.89	46.68	60.57	34.84	25.73
5	मीरापुर	मुजफ्फर नगर	21.39	63.94	85.33	45.13	40.20
6	चकिया	चदौली	11.13	32.50	43.63	32.43	11.20
7	चदौली	चदौली	8.26	32.15	40.41	31.94	8.47
8	माधव गढ़	जालौन	7.47	17.87	25.34	20.94	4.40
9	अमरौधा	कानपुर देहात	12.25	66.34	78.59	24.59	54.00
10	झिनिझंक	कानपुर देहात	8.36	32.68	41.04	30.23	10.81
11	बेहट	सहारनपुर	17.02	56.53	73.55	52.86	20.69
12	राजा का रामपुर	एटा	9.41	30.13	39.54	33.82	5.72
13	सहावल	एटा	1.21	38.41	39.62	28.53	11.09
14	दौराला	मेरठ	5.20	18.39	23.59	21.21	2.38
15	तांबौरकम	सीतापुर	21.49	53.71	75.20	31.41	43.79
16	पैटनपुर	सीतापुर	7.54	77.62	85.16	58.80	26.36
17	नरौली	मुरादाबाद	4.34	26.72	31.06	25.69	5.37
18	भोजपुर	मुरादाबाद	8.61	45.69	54.30	49.50	4.80
19	फतेहाबाद	आगरा	20.36	29.29	49.65	29.04	20.61
20	पेनहट	आगरा	20.32	35.11	55.43	40.12	15.31
21	कटरा	गोडा	11.17	64.89	76.06	74.22	1.84
22	बारबार	लखीमपुरखीरी	2.79	76.19	78.98	41.41	37.57
23	जैथरा	एटा	3.00	37.66	40.66	33.30	7.36
24	अमापुर	एटा	2.29	32.72	35.01	7.03	27.98
25	मोहनपुर	एटा	3.83	30.79	34.62	17.27	17.35
26	बिलराम	एटा	6.44	16.47	22.61	19.44	3.47
27	सैयदराजा	चंदौली	11.65	38.46	50.11	28.57	21.54
28	कटेरा	झांसी	2.05	14.25	16.30	10.92	5.38
29	पाली	ललितपुर	2.61	17.23	19.84	12.81	7.03
30	तालबेहट	ललितपुर	4.01	69.30	73.31	62.59	10.72
31	गरोथा	झांसी	4.57	16.84	21.41	15.96	5.45
32	रानीपुर	झांसी	3.21	88.35	91.56	51.07	40.49
33	किथोर	मेरठ	31.74	103.53	135.27	113.1	22.17
34	कुंदेरकी	मुरादाबाद	5.31	57.99	63.30	52.62	10.68
35	सिरसी	मुरादाबाद	38.09	35.55	73.64	66.31	7.33
36	हरदुआगंज	अलीगढ़	10.24	66.77	77.01	56.90	20.11
37	छर्रा	अलीगढ़	10.54	42.34	52.88	44.76	8.12
		योग	**379.30**	**1671.02**	**2050.02**	**1426.13**	**624.19**

परिशिष्ट–7

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर निगमों की वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	आगरा	1574.59	7412.91	8987.50	5647.91	3339.59
2	मुरादाबाद	557.67	2719.01	3276.68	2329.68	947.00
3	झांसी	724.24	2610.37	3334.61	1462.66	1871.95
4	कानपुर	380.25	15152.20	15532.45	12883.22	2649.23
5	वाराणसी	1172.18	5900.71	7072.89	5175.65	1897.24
6	अलीगढ़	977.30	3999.15	4976.45	3881.98	1094.47
7	बरेली	991.08	3887.51	4878.59	3809.30	1069.29
	योग	**6377.31**	**41681.86**	**48059.17**	**35190.40**	**12868.77**

परिशिष्ट–8

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर पालिका परिषदों की वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्थिति

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	शामली	मुजफ्फरनगर	45.08	709.41	754.49	623.14	131.35
2	बिलग्राम	हरदोई	14.47	127.98	142.45	122.35	20.10
3	उतरौला	बलरामपुर	74.64	132.39	207.03	157.15	49.88
4	मोहमदी	लखीमपुरखीरी	112.10	191.46	303.56	198.24	105.32
5	बलरामपुर	बलरामपुर	150.40	639.94	790.34	600.12	190.22
6	पीलीभीत	पीली भीत	133.79	502.32	636.11	460.16	175.95
7	देवबंद	सहारनपुर	122.27	458.38	580.65	364.35	216.30
8	सोरो	एटा	29.71	101.36	131.07	97.49	33.58
9	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी	126.70	596.47	723.17	665.21	57.96
10	वाह	आगरा	18.48	71.79	90.27	79.71	10.56
11	मुगलसरांय	चदौसी	282.21	675.79	958.00	582.77	375.23
12	कयराना	मुजफ्फरनगर	186.56	310.77	497.33	390.82	106.51
13	सम्भल	मुरादाबाद	211.24	705.48	916.72	753.05	163.67
14	मिश्रिख	सीतापुर	25.08	88.09	113.17	95.16	18.01
15	सरधना	मेरठ	45.08	314.05	359.13	250.10	109.03
16	उरई	जलौन	375.01	774.04	1149.05	719.09	429.96
17	खैर	अलीगढ़	28.83	265.99	294.82	159.28	135.54
18	फतेहपुर सिकरी	आगरा	24.71	174.34	199.05	91.18	107.87
19	कौसीकला	मथुरा	53.10	441.00	494.1	373.21	120.89
20	सयाना	बुलंदशहर	231.30	173.88	405.18	305.04	100.14
21	चिरगांव	झांसी	16.54	84.18	100.72	53.20	47.52
22	बरूआ सागर	झांसी	44.84	212.19	257.03	181.95	75.08
23	चन्दौसी	मुरादाबाद	85.53	504.65	590.18	424.09	166.09
		योग	**2437.67**	**8255.95**	**10693.62**	**7746.86**	**2946.76**

परिशिष्ट–9

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ संख्या–8)

नगर पंचायतों की वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्थिति (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	बिलसांदा	पीलीभीत	1.25	65.88	67.13	61.52	5.61
2	नुरिया हुसैनपुर	पीलीभीत	30.63	58.43	89.06	74.38	14.68
3	मनाकापुर	गोडा	26.79	37.11	63.90	62.81	1.09
4	मैलानी	लखीमपुर खीरी	25.73	40.98	66.71	56.83	9.88
5	मीरापुर	मुजफ्फर नगर	40.20	111.19	151.39	93.06	58.33
6	चकिया	चदौली	11.20	80.89	92.09	66.99	25.10
7	चंदौली	चदौली	8.47	41.47	49.94	33.53	16.41
8	माधो गढ़	जालौन	4.40	30.03	34.43	17.29	17.14
9	अमरोधा	कानपुर देहात	54.00	96.99	150.99	74.21	76.78
10	झिनझंक	कानपुर देहात	10.81	73.86	84.67	57.53	27.14
11	बेहट	सहारनपुर	20.69	63.21	83.90	63.91	19.99
12	राजा का रामपुर	एटा	5.72	70.67	76.39	67.97	8.42
13	सहावर	एटा	11.09	51.25	62.34	46.85	15.49
14	दौराला	मेरठ	2.38	32.34	34.72	27.51	7.21
15	ताबौरकम	सीतापुर	43.79	60.51	104.30	86.94	17.36
16	पैटनपुर	सीतापुर	26.36	83.91	110.27	58.06	52.21
17	नरौली	मुरादाबाद	5.37	68.08	73.45	57.15	16.30
18	भोजपुर	मुरादाबाद	4.80	81.46	86.26	66.17	20.09
19	फतेहाबाद	आगरा	20.61	63.36	83.97	67.64	16.33
20	पेनहट	आगरा	15.31	58.67	73.98	54.70	19.28
21	कटरा	गोडा	1.84	43.80	45.64	42.20	3.44
22	बारबार	लखीमपुरखीरी	37.57	37.71	75.28	65.75	9.53
23	जैथरा	एटा	7.36	30.01	37.37	31.48	5.89
24	अमापुर	एटा	27.98	21.73	49.71	42.81	6.90
25	मोहनपुर	एटा	17.35	14.74	32.09	28.92	3.17
26	बिलराम	एटा	3.47	20.03	23.50	20.03	3.47
27	सैयदराजा	चंदौली	21.54	56.15	77.69	59.18	18.51
28	कटेरा	झांसी	5.38	23.85	29.23	17.90	11.33
29	पाली	ललितपुर	7.03	22.65	29.68	21.28	8.40
30	तालबेहट	ललितपुर	10.72	58.63	69.35	57.25	12.10
31	गरोथा	झांसी	5.45	34.09	39.54	22.50	17.04
32	रानीपुर	झांसी	40.49	79.66	120.15	82.33	37.82
33	किथौर	मेरठ	22.18	86.42	108.60	95.95	12.65
34	कुंदेरकी	मुरादाबाद	10.68	145.10	155.78	103.7	52.08
35	सिरथी	मुरादाबाद	7.33	64.03	71.36	50.53	20.83
36	हरदुआगंज	अलीगढ़	20.11	62.15	82.26	68.15	14.11
37	छर्रा	अलीगढ़	8.11	96.47	104.58	84.26	20.32
		योग	**624.19**	**2167.51**	**2791.70**	**2089.27**	**702.43**

परिशिष्ट–10

(संदर्भ : प्रस्तर 1.7; पृष्ठ संख्या–9)

बजट एवं बजटीय प्रक्रिया (बजट पर व्ययाधिक्य)

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट मद संख्या	विवरण	बजट प्राविधान	वास्तविक व्यय	व्ययाधिक्य
2004–05 (राजस्व शीर्ष)	2(3)(अ)	स्वच्छता जिसमें सड़कों पर पानी का छिड़काव, शौचालय एवं अन्य स्थापना सम्मिलित हैं।	1700.00	1711.48	11.48
	2(3)(अ–1)	ठेकेदार–नाली एवं क्षेत्रीय सफाई	95.75	100.57	4.82
	2(3)(द)	यंत्र एवं आकस्मिकता	264.00	327.73	63.73
	4(1)(ब)	नागरिक सुरक्षा एवं सुविधाएं सामग्री कय	30.00	45.53	15.53
	4(1)(द)	नये निर्माण कार्य	1.50	3.86	2.26
	4(6)(ब)	बजार एवं वधशाला अन्य	50.00	51.91	1.91
	5(1)	लोक निर्माण स्थापना	120.00	155.00	35.00
	9(4)(ब)	विविध व्यय या न्यायिक प्रकरण अन्य	5.00	5.67	0.67
	9(5)(अ)	पेंशन अंशदान	650.00	708.00	58.32
	9(13)	अन्य (लिवरिस)	40.00	56.95	16.95
	9(13)(द)	बोर्ड / समितियों की बैठकों पर व्यय	1.25	2.59	1.34
पूँजीगत शीर्ष		सड़क अनुदान	50.00	281.36	231.36
2005–06 (राजस्व शीर्ष)	2(3)(अ)	स्वच्छता जिसमें सड़कों पर पानी का छिड़काव, शौचालय एवं अन्य स्थापना सम्मिलित है।	1700.00	1923.37	223.37
,,	2(3)(द)	यंत्र एवं आकस्मिकता	300.00	331.46	31.46
,,	3(2)(अ)	जन स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा पर व्यय – नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं निरीक्षकों पर व्यय	42.25	46.45	4.20
,,	4(1)	नागरिक सुरक्षा एवं प्रकाश सुविधाएं	0.00	0.00	0.00
,,	4(1)(अ)	स्थापना	53.50	53.82	0.32
,,	4(1)(ब)	सामग्री का कय	45.00	64.93	19.93
,,	4(1)(द)	नए निर्माण कार्य	10.00	39.72	29.72
,,	4(1)(ई)	मरम्मत	10.00	21.86	11.86
	4(6)(अ)	स्थापना	11.80	21.93	11.93

	5(1)	लोक कार्य संस्थापना	145.00	165.12	20.12
	5(3)(द)	सड़क निर्माण	30.00	169.50	139.50
	9(5)(अ)	पेंशन अंशदान	670.00	777.54	107.54
	9(5)(स)	जल संस्थान का समायोजन/अंतरण	125.00	228.36	103.36
	9(13)	अन्य (लिवरिस)	50.00	84.74	34.74
	9(13)(द)	बोर्ड/समितियों की बैठकों पर व्यय	1.25	2.17	0.92
	12(5)	पर्यावरण स्वच्छता–(बारहवा वित्त आयोग)	300.00	309.28	9.28
	16(1)	सड़क अनुदान	50.00	68.01	18.01
	6	रिवाल्विग	300.00	388.25	88.25
		योग	**6851.30**	**8147.16**	**1297.88**
					रु0 12.98 करोड़

परिशिष्ट–11

(संदर्भ : प्रस्तर 1.8.3 पृष्ठ संख्या–10)

रोकड़ अवशेषों का मिलान न किया जाना

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	31 मार्च 2006 को अवशेष		अन्तर
		पासबुक के अनुसार	रोकड बही के अनुसार	
	नगर निगम			
1	आगरा	3521.66	3339.60	182.06
2	बरेली	1203.90	1069.29	134.61
			योग	316.67
	नगर पालिका परिषद			
1	सेरो (एटा)	18.22	33.58	15.36
2	देवबंद (सहारनपुर)	232.69	216.30	16.39
			योग	31.75
	नगर पंचायत			
1	मीरापुर (मुजफ्फर नगर)	55.24	55.89	0.65
2	झिन्झंक (कानपुर देहात)	26.75	27.13	0.38
3	तामबोर–कम अहमदाबाद (सीतापुर)	17.98	17.36	0.62
4	साहावर (एटा)	14.13	11.09	3.04
5	राजा का रामपुर (एटा)	4.34	8.42	0.91
6	बेहट (सहारनपुर)	20.69	19.99	0.70
7	बिलसंदा (पीलीभीत)	10.61	5.61	5.00
8	चंदौली (चंदौली)	18.32	16.40	1.92
9	चकिया (चंदौली)	25.25	25.10	0.14
10	मोधोगढ़ (जालौन)	17.14	17.68	0.54
11	दौराला (मेरठ)	11.89	7.20	4.69
12	पाउली (ललितपुर)	9.73	8.40	1.33
13	शाहपुर (मुजफ्फर नगर)	13.58	13.56	0.02
14	चर्रा (अलीगढ़)	20.66	20.32	0.34
15	सिरसी (मुरादाबाद)	26.88	20.83	6.05
16	कुन्देरकी (मुरादाबाद)	52.25	52.09	0.16
17	किथोर (मेरठ)	15.23	12.65	2.58
18	तालबेहट(ललितपुर)	12.41	12.10	0.31
19	रानीपुर (झांसी)	22.43	22.41	0.02
20	भोजपुर धर्मापुर (मुरादाबाद)	21.46	19.70	1.76
21	मोहनपुर (एटा)	4.22	3.17	1.05
22	बरबर (लखीमपुरखीरी)	27.06	9.53	17.53
23	कटरा (गोंडा)	3.13	3.44	0.31
24	पिंहट (आगरा)	17.83	19.28	1.45
25	फतेहाबाद (आगरा)	28.89	16.33	12.56
26	नूरीया हुसैनपुर (पीलीभीत)	26.68	14.68	12.00
			योग	**76.06**
			महायोग	**424.48**

परिशिष्ट–12

(संदर्भ : प्रस्तर 1.14; पृष्ठ संख्या–13)

वर्ष 2006–07 की अवधि में निरीक्षित नगर निगमों की सूची

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम
1	आगरा
2	मुरादाबाद
3	झांसी
4	कानपुर
5	वाराणसी
6	अलीगढ़
7	बरेली

परिशिष्ट–13

(संदर्भ : प्रस्तर 1.14; पृष्ठ संख्या–13)

वर्ष 2006–07 की अवधि में निरीक्षित नगर पालिका परिषदों की सूची

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषदों का नाम	जनपद
1	शामली	मुजफ्फरनगर
2	बिलग्राम	हरदोई
3	उतरौला	बलरामपुर
4	मोहमदी	लखीमपुरखीरी
5	बलरामपुर	बलरामपुर
6	पीलीभीत	पीली भीत
7	देवबंद	सहारनपुर
8	सोरो	एटा
9	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी
10	वाह	आगरा
11	मुगलसरांय	चंदौसी
12	कयराना	मुजफ्फरनगर
13	सम्भल	मुरादाबाद
14	मिश्रिख	सीतापुर
15	सरधना	मेरठ
16	उरई	जलौन
17	खैर	अलीगढ़
18	फतेहपुर सीकरी	आगरा
19	कौसीकला	मथुरा
20	सयाना	बुलंदशहर
21	चिरगांव	झांसी
22	बरुआ सागर	झांसी
23	चन्दौसी	मुरादाबाद

परिशिष्ट–14

(संदर्भ : प्रस्तर 1.14; पृष्ठ संख्या–13)

वर्ष 2006–07 की अवधि में निरीक्षित नगर पंचायतों की सूची

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	जनपद
1	बिलसांदा	पीलीभीत
2	नुरिया हुसैनपुर	पीलीभीत
3	मनकापुर	गोंडा
4	मैलानी	लखीमपुर खीरी
5	मीरापुर	मुजफ्फर नगर
6	चकिया	चंदौली
7	चंदौली	चंदौली
8	माधोगढ़	जालौन
9	अमरौधा	कानपुर देहात
10	झिनझंक	कानपुर देहात
11	बेहट	सहारनपुर
12	राजा का रामपुर	एटा
13	सहावर	एटा
14	दौराला	मेरठ
15	तांबोरकम	सीतापुर
16	पैटानपुर	सीतापुर
17	नरौली	मुरादाबाद
18	भोजपुर	मुरादाबाद
19	फतेहाबाद	आगरा
20	पेनहट	आगरा
21	कटरा	गोंडा
22	बारबार	लखीमपुरखीरी
23	जैथरा	एटा
24	अमापुर	एटा
25	बिलराम	एटा
26	मोहनपुर	एटा
27	सैयद राजा	चंदौली
28	कटेरा	झांसी
29	पाली	ललितपुर
30	तालबेहट	ललितपुर
31	गरोथा	झांसी
32	रानीपुर	झांसी
33	किथोर	मेरठ
34	कुंदेरकी	मुरादाबाद
35	सिरसी	मुरादाबाद
36	हरदुआगंज	अलीगढ़
37	छर्रा	अलीगढ़

परिशिष्ट–15

(संदर्भ : प्रस्तर 1.15; पृष्ठ संख्या–14)

बारहवें वित अयोग के अनुदान का उपयोग

(बारहवें वित अयोग वर्ष 2005–06 के अनुदान की प्रथम किश्त की अवमुक्ति में विलम्ब)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	इकाई/जनपद का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुदान के अवमुक्ति की तिथि	उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में क्रेडिट होने की तिथि	शहरी विकास विभाग द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को स्वीकृत एवं प्राधिकृत किए जाने की तिथि	निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अनुदान के अवमुक्ति की तिथि	शहरी स्थानीय निकायों के बैक खातों/कोषागार में क्रेडिट की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
नगर निगम	अलीगढ़	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	27-03-2006	105
	बरेली	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	22-03-2006	100
	झांसी	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	22-03-2006	100
नगर पालिका परिषद	पीलीभीत	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	18-03-2006	96
	चिरगांव (झांसी)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	31-03-2006	109
	खैर (अलीगढ़)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	31-03-2006	109
	चन्दौसी (मुरादाबाद)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	31-03-2006	109
	बरूआ सागर (झांसी)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	30-03-2006	108
नगर पंचायत	नुरिया हुसैन (पीलीभीत)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	29-03-2006	107
	बिलसंदा (पीलीभीत)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	31-03-2006	109
	चरा (अलीगढ़)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	21-03-2006	99
	हरदुआगंज(अलीगढ़)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	22-02-2006	72
	रानीपुर (झांसी)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	30-03-2006	108
	तालबेहट (ललितपुर)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	04-02-2006	54
	कटेरा (झांसी)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	30-03-2006	108
	गरौथा (झांसी)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	30-03-2006	108
	पाली(ललितपुर)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	23-02-2006	73
	सिरसी (मुरादाबाद)	28-11-2005	28-11-2005	12-01-2006	27-01-2006	31-03-2006	109

परिशिष्ट–16

(संदर्भ : प्रस्तर 1.15; पृष्ठ संख्या–14)

बारहवें वित्त अयोग के अनुदान का उपभोग

(बारहवें वित अयोग वर्ष 2005–06 के अनुदान की द्वितीय किश्त की अवमुक्ति में विलम्ब)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	इकाई/जनपद का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुदान के अवमुक्ति की तिथि	उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में क्रेडिट होने की तिथि	शहरी विकास विभाग द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को स्वीकृति एवं प्राधिकृत किए जाने की तिथि	निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अनुदान के अवमुक्ति की तिथि	शहरी स्थानीय निकायों के बैक खातों/कोषागार में क्रेडिट की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
नगर निगम	अलीगढ़	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	06-11-2006	47
	बरेली	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	28-11-2006	69
	झांसी	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	15-02-2007	148
नगर पालिका परिषद	चिरगांव (झांसी)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	18-11-2006	59
	खैर (अलीगढ़)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	21-11-2006	62
	चन्दौसी (मुरादाबाद)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	18-12-2006	89
	पीलीभीत	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	31-10-2006	41
नगर पंचायत	नुरैया हुसैन (पीलीभीत)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	16-09-2006	00
	बिलसंडा (पीलीभीत)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	कोषागार विवरण उपलब्ध नहीं है।	
	चरा (अलीगढ़)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	30-10-2006	40
	हरदुआगंज (अलीगढ़)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	22-10-2006	31
	रानीपुर (झांसी)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	18-11-2006	59
	तालबेहट (ललितपुर)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	29-01-2007	131
	कटेरा (झांसी)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	20-12-2006	91
	गरूथा (झांसी)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	18-11-2006	59
	किथोर (मेरठ)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	17-10-2006	27
	कुंदेरी (मुरादाबाद)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	29-12-2006	100
	सिरसी (मुरादाबाद)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	18-01-2007	120
	पाली(ललितपुर)	06-09-2006	06-09-2006	15-09-2006	16-09-2006	01-11-2006	42

परिशिष्ट–17

(संदर्भ : प्रस्तर 1.15; पृष्ठ संख्या–14)

बारहवें वित अयोग से प्राप्त अनुदान का उपभोग

(सम्प्रेक्षा तिथि तक वर्ष 2005–06 के बारहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग न होना)

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	सम्प्रेक्षा तिथि	वर्ष 2005–06 की अवधि में प्राप्त धनराशि			व्यय	अवशेष
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	योग		
नगर निगम							
1	अलीगढ़	फरवरी 2007	105.37	104.84	210.21	1.27	208.94
2	बरेली	फरवरी 2007	122.23	121.56	243.79	0	243.79
3	झांसी	फरवरी 2007	74.74	74.37	149.11	91.48	57.63
योग			**302.34**	**300.77**	**603.11**	**92.75**	**510.36**
नगर पालिका परिषद							
1	फतेहपुर सीकरी (आगरा)	नवम्बर 2006	6.26	0	6.26	0	6.26
2	खैर (अलीगढ़)	फरवरी 2007	8.1	8.1	16.2	0	16.2
3	सीयना (बुलन्दशहर)	नवम्बर 2006	6.23	0	6.23	3.42	2.81
4	बरूआ सागर(झांसी)	फरवरी 2007	4.33	0	4.33	4.33	0
5	चिरगावं (झांसी)	जनवरी 2007	2.83	2.83	5.66	1.58	4.08
6	चंदौसी (मुरादाबाद)	फरवरी 2007	16.28	16.28	32.56	0	32.56
7	कोसीकला (मथुरा)	नवम्बर 2006	13.58	0	13.58	6.29	7.29
8	पीलीभीत (पीलीभीत)	जनवरी 2007	18.26	18.26	36.52	15.93	20.59
योग			**75.87**	**45.47**	**121.34**	**31.55**	**89.79**
नगर पंचायत							
1	चर्रा (अलीगढ़)	फरवरी 2007	2.88	2.89	5.77	0	5.77
2	हरदुआगंज (अलीगढ़)	मार्च 2007	2.22	2.22	4.44	0	4.44
3	गरौथा (झांसी)	मार्च 2007	1.3	1.3	2.6	1.3	1.3
4	कटेरा (झांसी)	फरवरी 2007	0.92	0.92	1.84	0.92	0.92
5	रानीपुर (झांसी)	फरवरी 2007	2.54	2.55	5.09	2.55	2.54
6	पाली(ललितपु)	जनवरी 2007	0.9	0.9	1.8	0.9	0.9
7	तालबेहट(ललितपुर)	जनवरी 2007	1.56	1.55	3.11	1.8	1.31
8	किथोर (मेरठ)	मार्च 2007	2.46	2.46	4.92	1.85	3.07
9	कुन्दरकी (मुरादाबाद)	मार्च 2007	2.99	2.99	5.98	2.44	3.54
10	सिरसा(मुरादाबाद)	फरवरी 2007	2.29	2.29	4.58	0	4.58
11	बिलसंदा (पीलीभीत)	जनवरी 2007	1.47	1.47	2.94	1.47	1.47
12	निचौरिया हुसैनपुर (पीलीभीत)	जनवरी 2007	1.85	1.85	3.7	0	3.7
योग			**23.38**	**23.39**	**46.77**	**13.23**	**33.54**
महायोग			**401.59**	**369.63**	**771.22**	**137.53**	**633.69**

टिप्पणी– बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदानों (2005–06) के उपयोग की, नवम्बर 2006 से मार्च 2007 की अवधि में सम्पादित लेखापरीक्षा।

परिशिष्ट–18

(संदर्भ : प्रस्तर 1.17; पृष्ठ संख्या–16)

नगर निगमों में बकाया कर संग्रहण

(रू0 लाख में)

नगर निगम	प्रकार	बकाया	दस वर्षों से अधिक समय से बकाया	वर्ष 2005–06 के लिए वर्तमान मांग	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अवशेष
1	2	3	4	5	6(3+5)	7	8(6–7)
कानुपर	प्रदर्शन कर	8.73	*	9.43	18.16	7.44	10.72
	विज्ञापन	80.90	*	135.72	216.62	122.70	93.92
	गृह कर	150.08	*	250.00	400.08	196.88	203.20
वाराणसी	गृह कर	420.71	*	487.73	908.44	483.11	65.33
झांसी	दुकान किराया	13.66	*	17.10	30.76	7.93	22.83
मुरादाबाद	किराया	25.39	*	16.49	41.88	17.73	24.15
	विज्ञापन	1.92	*	9.63	11.55	7.33	4.22
	प्रदर्शन कर	0.80	*	2.12	2.92	2.33	0.59
	तहबाजारी	21.64	*	95.06	116.70	88.67	28.03
	जल मूल्य	276.84	*	58.03	334.57	43.69	290.88
	जल कर	61.26	*	192.10	253.36	180.08	73.28
	गृहकर	64.87	*	270.00	334.87		64.31
बरेली	गृहकर	22.71	*	199.67	222.38	113.22	109.16
	जलकर	1.40	*	215.16	216.56	120.76	95.80
	प्रदर्शन कर	0.60	*	2.60	3.20	2.09	1.11
	जल मूल्य	1.05	*	50.49	51.54	10.00	41054
अलीगढ़	गृहकर	86.35	*	300.00	386.35	304.76	81.59
	जल कर	25.25	*	100.00	125.25	106.62	18.63

	दुकान किराया	18.62	*	15.85	34.47	18.35	16.12
	जल मूल्य	452.32	*	250.00	702.32	255.22	447.10
	लाइसेन्स	5.29	*	25.00	30.29	23.31	6.98
	तहबाजारी	30.02	*	130.00	160.02	100.84	59.18
योग		**1530.70**	*****	**2437.03**	**3967.73**	**1886.04**	**2081.69**

*विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट–19

(संदर्भ : प्रस्तर 1.17; पृष्ठ संख्या–16)

नगर पालिका परिषदों में बकाया कर संग्रहण

(रू0 लाख में)

नगर पालिका परिषद	प्रकार	बकाया	दस वर्षों से अधिक समय से बकाया	वर्ष 2005–06 के लिए वर्तमान मांग	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अवशेष
1	2	3	4	5	6(3+5)	7	8(6–7)
कोशीकला (मथुरा)	गृहकर	9.17	*	10.07	19.24	8.06	11.18
	जलकर	18.38	*	20.42	38.80	16.01	22.79
सोरो (एटा)	किराया	2.35	*	1.10	3.45	0.94	2.51
मिश्रिख (सीतापुर)	गृहकर	2.81	*	1.06	3.87	1.04	2.83
	जलकर	2.62	*	0.64	3.26	0.00	3.26
	जल मूल्य	3.55	*	3.50	7.05	0.95	6.10
वाह (आगरा)	गृहकर	3.72	*	3.41	7.13	0.98	6.15
	जल मूल्य	3.27	*	5.61	8.88	4.00	4.88
	तहबाजारी	1.93	*	4.02	5.95	1.58	4.37
उतरौला (बलरामपुर)	गृहकर	11.18	*	3.61	14.79	4.71	10.08
	जल मूल्य	3.40	*	1.45	4.85	1.61	3.24
मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी)	गृहकर	4.16	*	2.14	6.30	2.29	4.01
	जल मूल्य	4.03	*	3.32	7.35	3.98	3.37
	योग	**43.02**	*****	**29.86**	**72.88**	**22.08**	**50.80**

*विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट–20

(संदर्भ : प्रस्तर 1.17; पृष्ठ संख्या–16)

नगर पंचायतों में बकाया कर संग्रहण

(रू0 लाख में)

नगर पंचायत	प्रकार	बकाया	दस वर्षों से अधिक समय से बकाया	वर्ष 2005–06 के लिए वर्तमान मांग	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अवशेष
1	2	3	4	5	6(3+5)	7	8(6–7)
शाहपुर (मुजफ्फरनगर)	गृहकर	3.41	*	2.85	6.26	2.36	3.90
	किराया	0.44	*	2.16	2.60	2.27	0.33
	जल मूल्य	3.81	*	2.30	6.11	2.54	3.57
किथोर (मेरठ)	गृहकर	9.02	*	4.83	13.85	3.19	10.66
	जल मूल्य	5.84	*	1.75	7.59	0.90	6.69
	तहबाजारी	8.50	*	9.69	18.19	10.87	7.32
	लाइसेन्स	3.32	*	0.55	3.87	0.09	3.78
पल्ली (बलियाँ)	गृहकर	1.27	*	0.63	1.90	0.46	1.44
	लाइसेन्स	0.49	*	0.26	0.75	0.00	0.75
चर्रा (अलीगढ़)	जल मूल्य	2.95	*	2.49	5.44	1.45	3.99
	गृहकर	6.58	*	2.87	9.45	0.80	8.65
तालबेहट (ललितपुर)	गृहकर	2.49	*	2.83	5.32	1.30	4.02
	दुकान किराया	0.31	*	0.49	0.80	0.54	0.26
	लाइसेन्स	1.05	*	0.04	1.09	0.02	1.07
मोहनपुर (एटा)	गृहकर	2.35	*	1.06	3.41	0.33	3.08
	जल मूल्य	0.99	*	0.31	1.30	0.16	1.14
	तहबाजारी	2.35	*	1.36	3.71	0.17	3.54
बरबर (लखीमपुर खीरी)	गृहकर	2.42	*	0.69	3.11	0.41	2.70
	जल मूल्य	1.37	*	1.18	2.55	0.69	1.86
	तहबाजारी	0.24	*	0.84	1.08	0.56	0.52
जयथेरा (एटा)	गृहकर	9.13	*	2.59	11.72	2.16	9.56
	जल मूल्य	3.81	*	2.13	5.94	2.08	3.86
	तहबाजारी	6.14	*	4.47	10.61	2.20	8.41
पेनहट (आगरा)	गृहकर	1.18	*	2.76	3.94	2.06	1.88
	जल मूल्य	4.76	*	3.34	8.10	2.57	5.53
	तहबाजारी	0.71	*	2.11	2.82	2.11	0.71
नुरिया हुसैनपुर (पीलीभीत)	गृहकर	4.52	*	2.11	6.63	0.49	6.14
	जल मूल्य	0.54	*	0.32	0.86	0.21	0.65
योग		**89.99**		**59.01**	**149.00**	**42.99**	**106.01**

***विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उपलब्ध नहीं हैं।**

परिशिष्ट–21

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3; पृष्ठ संख्या–21)

चिकित्सकों के परिनियोजन पर अनियमित व्यय

वर्ष	धनराशि (रू0 में)
1996	134295
1997	228150
1998	229950
1999	229530
2000	230340
2001	229300
2002	225975
2003	225435
2004	228255
2005	227775
2006	137290
योग	**2326295**